an>

Title: Need to increase the pension of EPF pensioners.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) ः वर्ष 1995 में देश में कर्मचारी पेंशन योजना शुरु की गई थी। अंशदाताओं के लिए रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 500 और अधिकतम 750 रूपए पेंशन तय की गई थी और कहा गया था कि हर साल इसकी समीक्षा की जाएगी। 11 अगस्त, 2014 को इसमें इजाफा कर 1000 और 2500 रूपए कर दिया गया। 31 मार्च, 2015 तक ई.पी.एफ. खाताधारी रजिस्टर्ड सदस्यों की संख्या 15,84,70,434 थी। इनके 2,38,531.84 करोड़ रूपए जमा थे। मार्च 2015 तक ई.पी.एफ. के पेंशनधारकों की तादाद बढ़कर 51,04,397 थी। 2014-15 तक जमा पूंजी पर 19,017,097.28 करोड़ रूपए सिर्फ ब्याज के तौर पर ही कमाए गए। 13 नवम्बर, 2012 को बी.एस. कोशियारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने 29 अगस्त, 2013 को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए न्यूनतम पेंशन 3000 रू. और डी.ए. देने की सिफारिश की थी। इस पर आज तक अमल नहीं किया गया। महाराष्ट्र के पेंशनधारकों की संख्या 7 लाख के आस-पास है। सरकार से अनुरोध है कि ई.पी.एफ. स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी करके यह राशि रू. 7500 एवं डी.ए. सहित ई.पी.एफ. पेंशनधारकों को दी जाए।